"प्रपत्र सं. यूआरसी-2"

शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में दिल्ली में रजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आईएमएएपीपी वेब एलएलपी, एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आईटीकंसल्टैन्सी, एवर्टाईजिंग ग्रैफिक डिजायनिंग, वेबसाइट डिजायनिंग, वेबसाइट डेवलपमेन्ट सॉफ्टवेयर डिजायन एवं विकास, मोबाईल एप डिजायन एवं विकास, इन्टरनेट मार्केटिंग, कॉन्टैन्ट राइटिंग तथा ट्रैवल एजेन्सी एवं टूर ऑपरेशन का व्यवसाय करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति सम्पत्ति सं. 12, लेफ्ट साइड, 2 रा तल एवं 3 रा तल, हौज खास, ग्राम हौज खास, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110016 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर जिला गुड़गाँव, (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

आवेदकों का नाम
हस्ता./-
1. सौरभ शंकर सिंह
हस्ता./-
2. पंकज यादव

तिथि : 12.06.2023

एलोफिक इंडस्ट्रीज लि.
(CIN: U74999HR1973PLC070262)
पंजी. कार्यालय: 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ईमेल: fbd@elofic.com, वेबसाईट: www.elofic.com

आईईपीएफ में लाभांश एवं इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये शेयर धारकों के लिये सूचना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकार (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) (सामूहिक रूप से नियमावली वर्णित) के अनुपालन में कम्पनी को ऐसे सभी शेयर धारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है, को शेयरों के अंतरण की नियत तिथि से तीन माह पूर्व उन्हें सूचित करना तथा समाचार पत्रों में सूचना को प्रकाशित कराना होता है।

नियमावली में अन्य बातों के अलावे लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित करने का प्रावधान है जिसके लिये सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है तथा साथ ही ऐसे सभी शेयरों को अंतरित करने का भी प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिये कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से शेयरधारकों द्वारा दावा-रहित रहा है, अब नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संबंधित शेयरों के साथ 08 अक्टूबर, 2023 को आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत है। अतः शेयरधारकों से आग्रह है कि अपने बकाया लाभांश का दावा करें। इस संदर्भ में वांछित सूचना यथाशीघ्र जहां तक संभव हो संबंधित शेयरधारकों को भेजी जा रही है। पुनः कम्पनी ने आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत शेयरों तथा शेयरधारकों के विवरणों को अपनी वेबसाईट (www.elofic.com) पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से आग्रह है कि दावा-रहित लाभांश के विवरणों की जांच एवं सत्यापन कर लें तथा 30 जून, 2023 तक दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें।

आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण कर देने के बाद ऐसे शेयरों पर उपचयित भविष्य के सभी लाभों तथा लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर भी शेयरधारक प्रपत्र आईईपीएफ-5 (वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास ऑनलाइन आवेदन कर तथा उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास आईईपीएफ-5 में वर्णित अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रति के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसकी भौतिक प्रति जमा कर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयर धारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, ध्यान रखें कि अंतरण के लिये कम्पनी मूल शेयर प्रमाणपत्र की जगह नवीन शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा डिमैट पद्धति में उसे बदलने तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों को अंतरित करने के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जाएंगे। डिमैट पद्धति में धारित शेयरों के लिये कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के साथ शेयरों के अंतरण को प्रॉसेस करेगी। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी द्वारा नवीन शेयर प्रामण पत्रों को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि 30 जून, 2023 तक संबंधित शेयर धारक से कम्पनी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह लागू प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दी जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में दावा-रहित लाभांश तथा अंतरित शेयरों के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ के लिये शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै. अलंकित एसाइन्मेन्ट लिमिटेड, पताः अलंकित हाउस, 4ई/2 झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 से सम्पर्क कर सकते हैं।

एलोफिक इंडस्ट्रीज लि. के लिये
हस्ता./-
कंवलदीप सहनी
पूर्ण कालिक निदेशक

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 12.6.2023

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **इंदर अरोड़ा, पुत्रः स्व. सुभाष चन्द अरोड़ा, पताः जे-3/99, तीसरी मंजिल, राजोरी गार्डन, दिल्ली** ने **FIR No. 516/2017 dated 22.12.2017 U/s 420/34 IPC, पुलिस थाना पश्चिम विहार ईस्ट, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **इंदर अरोड़ा** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **इंदर अरोड़ा** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 516/2017 dated 22.12.2017 U/s 420/34 IPC, पुलिस थाना पश्चिम विहार ईस्ट, दिल्ली** के अभियुक्त **असगर इंदर अरोड़ा** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **13.07.2023** या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री देवांशु सजलन
महानगर दण्डाधिकारी-07 (पश्चिम)
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/5884/OD/2023

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड — अधिग्रहण सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051, शाखा कार्यालयः 7वां तल, भूखंड सं.-7, सेक्टर-125, डेल कैम्पस के समीप, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **कोटक महिंद्रा बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का, भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण)/सह-उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहां उसमें अर्थात् सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुडवाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं और उनके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियां, अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम तथा पते/ऋण खाता संख्या/ऋण राशि	अचल संपत्ति के विवरण	1. अधिग्रहण की तिथि, 2. अधिग्रहण का प्रकार 3. मांग सूचना तिथि, 4. बकाया देयराशि रू. में
श्री रविंदर भड़ाना पुत्र धरम सिंह तथा श्रीमती लता पत्नी रविंदर भड़ाना, दोनों निवासीः एच-144, ग्राम-सलारपुर नोएडा, सेक्टर-39, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, **ऋण खाता संख्याः LNDEL00616-170000639, संस्वीकृत ऋण राशिः** रु. 42,86,809/- (रुपये बयालिस लाख छियासी हजार आठ सौ नौ मात्र)।	अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खाता सं. 79, खसरा सं. 95 तथा 284 पर, अधिमापन 303 वर्ग मीटर, ग्राम-सलारपुर परगना एवं तहसील-दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है: पूर्व-अन्य का भूखंड, पश्चिम- अन्य का भूखंड, उत्तर- श्री परसाराम का भूखंड, दक्षिण-गंदी गटर की पटरी। **बंधककर्ता का नामः** श्री रविंदर भड़ाना पुत्र धरम सिंह।	1. 08-06-2023 2. सांकेतिक अधिग्रहण 3. 17-10-2019 4. रु. 65,02,011/- (रुपये पैंसठ लाख दो हजार ग्यारह मात्र) जो दिनांक 17-10-2019 के अनुसार और पूर्ण भुगतान होने तक 17-10-2019 से लागू ब्याज के साथ देय एवं भुगतान योग्य है।
मि. नावेद खान पुत्र मि. अनीश खान, दोनों निवासीः 8/64, कटरा नौ, नाई की मंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश)-282010 तथा मिसे. शबाना खान पत्नी मि. नावेद खान, दोनों निवासीः 8/107, कटरा नील, नाई की मंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश)-282010, दोनों का यह पता भी हैः भूखंड सं. डी-76, बालाजीपुरम वार्ड लोहामंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश)-282010 तथा मि. शबाब दुर्रानी पुत्र मि. खुर्शीद दुर्रानी, पताः नूरानी मसजिद, नई आबादी, केशर विहार, शाहगंज, आगरा (उत्तर प्रदेश)-282010, **ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/14/100012, संस्वीकृत ऋण राशिः** रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)।	बंधक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान सं. के रूप में भूखंड सं. डी-76 बालाजीपुरम, वार्ड लोहामंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश)-282010 में स्थित है जिसका अधिमापन 82.66 वर्ग मीटर है तथा संपत्ति इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व-भूखंड दीगर, पश्चिम- भूखंड सं. डी-76 का शेष भाग, उत्तर- भगवान सिंह तथा आर.पी. सिंह का मकान, दक्षिण- 9 मीटर सड़क, **बंधककर्ता का नामः** मि. नावेद खान।	1. 09-06-2023 2. सांकेतिक अधिग्रहण 3. 13-01-2023 4. रु. 24,75,046/- (रुपये चौबीस लाख पिचहत्तर हजार छियालिस मात्र) जो दिनांक 13-01-2023 के अनुसार और पूर्ण भुगतान होने तक 14-01-2023 से लागू ब्याज के साथ देय एवं भुगतान योग्य है।

दिनांक : 13-06-2023, स्थान : नोएडा — **प्राधिकृत अधिकारी कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,**

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) और श्री नकुल गुप्ता (+91 9522571433) और श्री रितेश चौहान (+91 7355036788) से संपर्क करें।

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

55-56, 5वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021, दूरभाष सं.: 022-61884700
ईमेलः sys@pegasus-arc.com, यूआरएलः www.pegasus-arc.com

ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति का विक्रय।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत है, के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एसाइनमेंट अनुबंध दिनांकित 29-03-2019 के माध्यम से इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा रेखांकित प्रतिभूतियों के हित के साथ निम्न वर्णित उधारकर्ता को देयराशियां सौंपी जा रही है।

उपर्युक्त एसाइमेंट अनुबंध को दृष्टिगत रखते हुये निम्न वर्णित बंधककृत संपत्ति का अधिग्रहण, पेगासस एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा 14-03-2023 को कर लिया गया है तथा अब उसे "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 18-07-2023 को बेचा जायेगा। यह विक्रय जो होगा वह धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुसार 01-11-2018 को रु. 85,83,427.36/- (रुपये पिचासी लाख तिरासी हजार चार सौ सत्ताईस एवं छत्तीस पैसे मात्र) तथा 12-04-2023 को रु. 1,49,11,430.04/- (रुपये एक करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार चार सौ तीस एवं चार पैसे मात्र) की एक राशि तथा वसूली होने तक राशि पर संविदागत दर पर 13-04-2023 से प्रभावी भवी ब्याज एवं लागतों, शुल्कों एवं व्ययों की वसूली के लिये किया जायेगा, जो कि श्री बिजेंदर सिंह तथा सुश्री ऊषा रानी की ओर से पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को देय-भुगतेय है। यदि उधारकर्ता/गारंटरगण, प्रतिभूत परिसंपत्ति के विक्रय से पूर्व किसी भी समय पेगासस को समस्त उपगत लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो फिर कोई विक्रय कार्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा। आरक्षित मूल्य रु. 1,18,51,000/- (रुपये एक करोड़ अट्ठारह लाख इक्यावन हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रु. 11,85,100/- (रुपये ग्यारह लाख पिचासी हजार एक सौ मात्र) होगी।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम :	**1. श्री बिजेंदर सिंह** **2. सुश्री ऊषा रानी**
बकाया देयराशि	रु. 85,83,427.36/- (रुपये पिचासी लाख तिरासी हजार चार सौ सत्ताईस एवं छत्तीस पैसे मात्र) 01-11-2018 को तथा रु. 1,49,11,430.04/- (रुपये एक करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार चार सौ तीस एवं चार पैसे मात्र) 12-04-2023 को तथा वसूली होने तक राशि पर संविदागत दर पर 13-04-2023 से प्रभावी भावी ब्याज एवं लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ
अचल संपत्ति का विवरण	आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नं. 821-आर(पार्ट) मॉडल टाउन, अरोड़ा हॉस्पिटल के पास, एमसी सीमा के अंदर, पानीपत-132103, हरियाणा, क्षेत्राधिमापन 225 वर्ग गज।
आरक्षित मूल्य	रु. 1,18,51,000/-
धरोहर राशि जमा	रु. 11,85,100/-
चल संपत्ति का विवरण	शून्य
यदि, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति के समक्ष अग्रसारित किया गया है तथा प्रतिभूति ऋणदाता को विदित कोई अन्य देयराशि तथा मूल्य	अज्ञात
CERSAI	परिसंपत्ति आईडी- 200013206394, प्रतिभूति आईडी- 400013234095
संपत्ति का निरीक्षण	10-07-2023 को 11.00 से 2.00 बजे के मध्य, संपर्क हेतु व्यक्ति : श्री रमाकांत पाण्डेय (प्राधिकृत अधिकारी) @ 9087788888
बोली जमा करने की अंतिम तिथि/बोली	17-07-2023 को 11.00 बजे से 4.00 बजे तक
बोली खोलने का समय एवं स्थान	ई-नीलामी/बोलीदान वेबसाइट (https://sarfaesi. auction-tiger.net) के माध्यम से 18-07-2023 को 11.00 से 1.00 बजे तक

यह प्रकाशन उपर्युक्त वर्णित उधारकर्ताओं/गारंटरों हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत तीस दिवसीय सूचना है।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये अपनी बोलियां जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित ई-नीलामी/विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा अन्य विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html पर उपलब्ध लिंक देखें। बोलीदातागण, वेबसाइट : https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लि. ऑक्शन टाइगर, बिडर सपोर्ट : 079-68136805/68136837, मोबाइल :+919978591888, ईमेल : ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 13-06-2023 — **पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37 के ट्रस्टी)**

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, एक्सिस बैंक के ऊपर, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी.-201010

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/NCU/GHAU/A000000007 **श्री नवीन कुमार शर्मा और श्रीमती निधि शर्मा, दोनों:** सी 68 गली नं. 3 गंगा विहार दिल्ली, मेट्रो, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110094	26-08-2022 / 08-06-2023 सांकेतिक	₹ 21,82,739/- दिनांक 17-08-2022 तक + ब्याज इत्यादि	आई एफ 3 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन परगना लोनी तहसील, गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत - 201009 में स्थित
2	आवेदन नं. DL/NCU/GHAU/A000000545 DL/NCU/GHAU/A000001471 **श्री सूरज और श्रीमती रेखा, दोनों** : 25 गली नं. 6 सेवा नगर मेरठ रोड, सेवा नगर, एनए, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001	26-08-2022 / 08-06-2023 सांकेतिक	₹ 15,75,499/- दिनांक 17-08-2022 और 18-08-2022 तक + ब्याज इत्यादि	खसरा नं. 440, गाँव घुकना परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद यू.पी., सेवा नगर, एनए, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, भारत, चौहद्दी : पूरब में - 15 फीट चौड़ा रोड़, पश्चिम में - विनोद का प्लॉट, उत्तर में - श्रीमती सरोज का प्लॉट, दक्षिण में - 15 फीट चौड़ी रोड

दिनांक : 12-06-2023, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड — कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, दानी कार्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रूज (पू.), मुंबई-400 098

जबकि **मैसर्स फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (नीचे तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्ट्स के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटरों से उक्त सूचनाओं में वर्णित राशि उसकी प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटर बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटरों तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा सूचनाओं में वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटर को तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **मैसर्स फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (नीचे तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्ट्स के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)** की उपरोक्त बकाया राशि और उस पर संबंधित तिथि से भावी ब्याज, लागतों और प्रभारों के अधीन होगा। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटरों, बंधक सम्पत्तियों का विवरण, ट्रस्ट का नाम, बकाया राशियां, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचनाएं तथा दावित बकाया राशियां यहां नीचे दिए अनुसार हैं :

कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	प्रतिभूतियों का विवरण	1. ट्रस्ट का नाम, 2. मांग सूचना तिथि, 3. कब्जा की तिथि, 4. कब्जा का प्रकार 5. बकाया राशि रू. में
रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह एवं श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल एवं श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार सभी का पता : 67, नारायण नगर, निकट नई आबादी, बिचपुरी रोड, बोडला, आगरा-282007, सभी का अन्य पता : दुकान नंबर 1, खसरा नंबर 72, भू तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, मौजा देहतोरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा-282007, सभी का अन्य पता : श्री रवीन्द्र कुमार 3, शास्त्री पुरम क्रॉसिंग, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, आगरा-282007, **ऋण खाता संख्या : PR00415335 स्वीकृत ऋण राशि : रू. 16,75,000/- (रूपए सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र)**	**बंधक सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** दुकान नंबर 1, खसरा नंबर 72, भू तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, मौजा देहतोरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा, बंधकदाता का **नाम : श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल**	1. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 2. 18-06-2021 3. 09-06-2023 4. सांकेतिक कब्जा 4. रू. 28,93,902/- (रूपए अठ्ठाईस लाख तिरानवे हजार नौ सौ दो मात्र) 18-06-2021 तक बकाया और देय दिनांक 19-06-2021 से आगे पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज, लागतों और प्रभारों सहित
श्री अतर सिंह पुत्र श्री विहारी लाल एवं श्री कैलाश चंद पुत्र श्री अतर सिंह एवं श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री अतर सिंह सभी का पता : 12/4 क्यू, हनुमान नगर, यमुना पुल, आगरा-282004, सभी का अन्य पता : दुकान नंबर 21,बेसमेंट, स्थित शिव प्रिया कॉम्प्लेक्स, यमुना पार कालोनी, आगरा-282006, **ऋण खाता संख्या : PR00440910 स्वीकृत ऋण राशि : रू. 21,80,000/- (रूपए इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र)**	सम्पत्ति दुकान नंबर 21,बेसमेंट, क्षेत्रफल परिमाप 40.06 वग्र मीटर, स्थित शिव प्रिया कॉम्प्लेक्स, यमुना पार कालोनी, आगरा-282006, **बंधकदाता का नाम : श्री अतर सिंह**	1. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 2. 06-04-2021 3. 09-06-2023 4. भौतिक कब्जा 4. रू. 41,97,734/- (रूपए इकतालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ चौंतीस मात्र) 31-03-2021 तक बकाया और देय दिनांक 01-04-2021 से आगे पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज, लागतों और प्रभारों सहित

स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड**
तिथि : 13-06-2023 — **(ऊपर तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्ट्स के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)**

किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 +919910563402), श्री नकुल गुप्ता (+91 9522571433) एवं रीतेश चौहान (+91 +917355036788)

HDFC BANK

We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013 तथा जिसका एक कार्यालय हैः रिटेल पोर्टफोलिओ प्रबंध, एचडीएफसी बैंक लि., 1ला तल, I-थिंक टेक्नो कैम्पस, कंजूरमार्ग (ईस्ट),